भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 357*

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी आयोजना संबंधी समिति

†*357. श्री जगदम्बिका पालः

श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख उद्देश्य और अपेक्षित निष्कर्ष क्या हैं जिसे विशेषतः दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में शासन के लिए शहरी आयोजना के एक मॉडल का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि समिति की सिफारिशों में देशभर के विभिन्न शहरी क्षेत्रों की जरूरतें और चुनौतियां परिलक्षित हों; और

(ग) समिति द्वारा अपना कार्य पूरा किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसके निष्कर्षों को मौजूदा शहरी शासन ढांचे में किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'शहरी आयोजना संबंधी समिति' के संबंध में 19 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *357 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शासन के लिए शहरी नियोजन के मॉडल का प्रारूप तैयार करने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की है। हालांकि, शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन और शासन पर सिफारिशें करने के लिए 31.05.2022 को प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थाओं की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2024 को समाप्त हो गया है।

समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/शहरों में शहरी नियोजन परिदृश्य का अध्ययन करना, कमियों की पहचान करना और अल्प/मध्यम/दीर्घकालिक समाधान; शहरों को 'आर्थिक विकास और नवाचार का इंजन' बनाने के लिए शहरी नियोजन पर नवीन विचार और तकनीकी कार्यक्रम सुझाना; पारिस्थितिकी तंत्र सहायता की वहनीय क्षमता के आधार पर शहरों को सुस्थिर बनाने में सहायता करना; 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर पिछली समितियों की सिफारिशों/नीति आयोग की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की स्थिति का अध्ययन करना; क्षमता निर्माण और शहरी नियोजन सुधारों में राज्यों की सहायता करना आदि शामिल हैं। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

नगर एवं ग्राम योजनाकारों/राज्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण, सतत शहरीकरण, क्षेत्रीय योजना, शहरी वित्तपोषण, पर्यावरण स्थिरता और जलवायु अनुकूलन, जल योजना, गतिशीलता और पैदल चलने योग्य स्थान आदि के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से शामिल किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं , जो अन्य बातों के साथ-साथ शहरी नियोजन और स्थिरता सहित शासन और दिल्ली सहित शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से संबंधित हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित

मास्टर प्लान तैयार करने की एक उप-योजना है। इस उप-योजना का उद्देश्य भू-डेटा बेस तैयार करना और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना है। वर्तमान में, 35 राज्यों के 461 अमृत शहर इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अब तक, 219 नगरों ने अपने मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिए हैं और 158 नगरों के मास्टर प्लान मसौदा चरण में हैं।

50,000 से 99,999 की आबादी वाले वर्ग-II नगरों को शामिल करने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना को विस्तारित किया गया है। अब तक 661 वर्ग-II शहरों ने इस योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और लोक सेवकों, राज्य नगर योजनाकारों, नगरपालिका अधिकारियों, व्यवसायियों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने चार संस्थानों को शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। ये संस्थान हैं:

(i) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

(iii) सीईपीटी, अहमदाबाद

(iv) एनआईटी कालीकट

ये उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन और संबद्ध क्षेत्रों में एक बहुविषयक मंच के रूप में कार्य करेंगे। सीओई शहरी नियोजन सुधारों के तहत वास्तविक जमीनी परियोजनाओं और पहलों के संबंध में शहरों के साथ साझेदारी भी करेंगे।

शहरी नियोजन सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया है:

i. राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 – भाग V। (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार घटकों में विरोधाभासों को दूर करके और भूमि उपयोग को इष्टतम करके भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जैसे आधुनिक शहरी नियोजन उपकरणों को अपनाना, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) का कार्यान्वयन शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों को स्पंज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों के संचालन पर कर हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ii. राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2023-24 – भाग III (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार घटकों में अर्हता-प्राप्त शहरी योजनाकारों को नियुक्त करके मानव संसाधनों में वृद्धि, नगर नियोजन योजना (टीपीएस)/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन निर्माण उपनियमों का आधुनिकीकरण, किफायती आवास और स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), नियोजन उपकरण के रूप में हस्तांतरणीय

विकास अधिकार, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, जलक्षेत्रों का विकास करना आदि शामिल हैं।

*****